दिनांक 19.02.2025 को सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग के लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

कार्यवाही

सर्वप्रथम प्रशाखा–1, मुख्यालय (स्थापना) की समीक्षा की गयी

1. प्रशाखा पदाधिकारी के 05 स्वीकृत पद में से 03 प्रशाखा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत है। 02 प्रशाखा पदाधिकारी कम है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा गया है। पुनः स्मारित करने का निदेश दिया गया।

2. यदि आवश्यक हो तो लेखा, बजट की प्रशाखा बढ़ाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

3. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के मूल कोटि का पद है, जो वर्तमान में लेवल–6 है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को उत्क्रमित करने का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

4. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का विभागीय परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम एवं अर्हता निर्धारित करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

5. वरीय स्तर पर पदाधिकारियों की अनुपस्थिति की स्थिति में उनसे संबंधित कार्य सम्पादन हेतु अन्य पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आदेश निर्गत करने के लिए स्थापना प्रशाखा को निदेशित किया गया।

6. भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा निष्पादन लंबित है। इसे शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

7. बताया गया कि स्थापना शाखा में स्वीकृत एवं कार्यरत बल की स्थिति से अवगत कराने एवं ACP/MACP, एरियर, प्रोन्नति, सेवा सम्पुष्टि से संबंधित संचिकाएँ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

8. सभी प्रशाखा पदाधिकारी को अपने शाखा के लंबित पत्रों/संचिकाओं का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने का आदेश दिया गया तथा आगामी 05 मार्च के पूर्व संबंधित प्रशाखा का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

9. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी हेतु प्रत्येक जिले में 38 लिपिक के पद स्वीकृत है, जिसका विज्ञापन हेतु कर्मचारी चयन आयोग को पत्र दिया गया है, पुनः स्मारित करने का निदेश दिया गया।

10. विभाग के स्तर पर मैगजिन प्रकाशित करने पर विचार किया गया, इस संबंध में निदेशक, संग्रहालय की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की समीक्षा

11. आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में कतिपय त्रुटियों को दूर करने हेतु प्रस्ताव पुनः कैबिनेट भेजने हेतु 15 दिनों के अंदर संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु मानवबल में किस तरह के कर्मी चाहिए यथा–आउटसोर्सिंग कंपनी/संविदा आदि, इससे संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

12. सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को विभाग की गतिविधियों से संबंधित एक माह का समेकित कोर्स जिसमें संग्रहालय, पुरातत्व, कला, फिल्म से संबंधित विषय हो, को कराने का निदेश दिया गया।

13. जिन जिलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यालय एवं कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहाँ के जिला पदाधिकारी को कार्यालय एवं कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु को पत्र देने का निदेश दिया गया। इस कार्य हेतु जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

14. ऐसे जिले जहाँ जिलाधिकारी द्वारा स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है वैसे जिलों में अवस्थित अटल कला भवन अथवा संग्रहालय में ही जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का कार्यालय के अधिष्ठापन करने का निदेश दिया गया।

15. उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में MoU किया गया है। उसी तर्ज पर बिहार के निकटवर्ती राज्य झाखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में MoU करने का सुझाव दिया गया।

16. कलाकारों के लिए डाटाबेस तैयार किया जाय, जिसमें उनके द्वारा विभाग में किये गये कार्यों का वर्षवार का ब्योरा हो, से संबंधित एक वेबपोर्टल के निर्माण किये जाने का निदेश दिया गया।

17. कलाकारों के लिए पंजीकरण हेतु वेबपोर्टल का निर्माण करने का सुझाव दिया गया।

संग्रहालय निदेशालय एवं पुरातत्व निदेशालय की समीक्षा

18. बिहार राज्य अवस्थित राजकीय संग्रहालयों में आगन्तुकों की संख्या में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से संग्रहालय परिसर को आकर्षक स्वरूप प्रदान करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

19. जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय परिसर में रखी हुई बेकार हुए चार पहिया वाहनों की नीलामी कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय को दिया गया।

20. चिरांद पुरास्थल के विकास हेतु अधिगृहित भूमि का नजरी नक्शा सहित अन्य विवरणी जिला से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

21. रोहतास जिला अवस्थित केन्द्रीय सुरक्षित घोषित स्मारक शेरशाह सूरी का मकबरा के सौन्दर्यीकरण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

22. बालगुदर (लखीसराय) पुरास्थल का चहारदिवारी कराने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

23. गोलघर के बाहरी आवरण कर रासायनिक विधि से साफ–सफाई के संदर्भ में लगातार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पत्राचार करते रहने का निदेश दिया गया।

24. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुरातत्व के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अथवा प्राचीन भारतीय संस्कृति में महिलाओं का योगदान से संदर्भित विषय पर ख्याति प्राप्त विदुषियों को आमंत्रित करते हुए एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार संग्रहालय, पटना में कराये जाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मार्च, 2025 में आयोजित करते हुए बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वत्जनों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

25. बोध गया अवस्थित ताराडीह पुरास्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु तैयार किये जाने वाले कार्य योजना में उत्खनित क्षेत्र का साफ–सफाई कराते हुए विभिन्न कालखण्ड के सांस्कृतिक अनुक्रम को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/–
(प्रणव कुमार)
सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 287 / पटना, दिनांक 21-2-25 / 2025

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक अभियंता/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक अभियंता/क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0 टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/02/25
(अनिल कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।